

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

प्रारूप ख-प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी को आवास-2022) के तहत स्लम पुर्नविकास विकल्प के अलावा अन्य विकल्पों हेतु लाभार्थी से मांगे जाने वाली सूचना

1. परिवार का मुखिया का नाम
2. लिंग (पुरुष-01 महिला-02, उभयलिंगी-03)
3. पिता/पति का नाम
4. माता का नाम
5. परिवार की मुखिया की आयु
6. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा
 - (i) वार्ड नं०
 - (ii) मकान/फ्लैट/द्वार सं०
 - (iii) गली/मौहल्ले का नाम
 - (iv) स्थानीय निकाय
 - (v) मोबाईल संख्या
7. स्थाई पता
 - (i) मकान/फ्लैट/द्वार सं०
 - (ii) गली का नाम
 - (iii) शहर/गाँव
 - (iv) जिला, राज्य
8. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा
(स्वामित्व-01, किराया-02, अन्य-03)
9. छत के आधार पर मकान का प्रकार
[पक्का (सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर वाला)-01,
अर्द्ध-पक्का (सीमेंट की चादर/स्टील की चादर, टाइल
से बने हुए)-02 कच्चा (घास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी
से बना)-03]
10. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या
11. आधार कार्ड संख्या

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

12. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान सं० अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र

13. धर्म

[हिन्दु-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य (उल्लेख करें)]

14. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

15. बैंक का ब्यौरा

- क. बैंक खाता संख्या
ख. बैंक और शाखा का नाम
ग. आई.एफ.एस.सी. कोड

16. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या

(0 से 1 वर्ष-01, 1 से 3 वर्ष-02, 3 से 5 वर्ष-03, 5 वर्ष से अधिक-04)

17. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्गमीटर में)

18. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)

19. वैवाहिक स्थिति-

(विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)

20. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना

मकान/रिहायशी भूमि है ? (हां/नहीं)

ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।

(बस्ती/शहर/राज्य)

घ. यदि हां, तो वर्गमीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

21. रोजगार की स्थिति

(स्व-रोजगार-01, वेतनभोगी-02, नियमित मजदूरी-03,
मजदूर-04, अन्य-05)

22. परिवार की औसत मासिक आय (रुपये में)

23. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां/नहीं)

क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।

24. परिवार की आवास आवश्यकता

(नया घर-01, वृद्धि-02)

25. आवास वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।

[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये
सभी संयुक्त रूप से]

26. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अन्तर्गत

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के
तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है

(i) ऋण से जुड़ी सब्सिडी-01

(15 वर्ष के लिए रु0 6.00 लाख की धनराशि के ऋण हेतु 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देय)

(ii) भागीदारी में किफायती आवास-02

(आवास के विक्रय मूल्य पर रु0 2.50 लाख की अनुदान राशि देय)

(iii) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण-03

(रु0 2.50 लाख की अनुदान राशि देय)

(iv) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार-04

(रु0 2.50 लाख की अधिकतम अनुदान राशि देय)

27. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)

(क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास
निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत है)

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट :-अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा,
जिनके लिए "सभी के लिए आवास" कार्य योजना (एचएफएपीओए) स्कीम के दिशा निर्देशों के पृष्ठ संख्या-13 पर
प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना के फ्लो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी
भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना पर शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

समक्ष:-परियोजना अधिकारी, डूडा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री

निवासी म0नं0 गली नं0 मोहल्ला वार्ड नं0 जिला

..... निम्नानुसार वचन देता/देती हूँ कि:-

1. मेरे या मेरे परिवार द्वारा पूर्व में केन्द्र/राज्य प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया गया है।
2. मेरे द्वारा आवेदन के साथ भू-स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र/शपथ पत्र एवं अन्य प्रपत्र कन्सलटेन्ट के माध्यम से डूडा में उपलब्ध करा दिये गये हैं।
3. मेरे या मेरे परिवार के नाम पूरे भारत में पक्का मकान नहीं है। मेरी जानकारी में है कि परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी एवं अविवाहित आश्रित बच्चे सम्मिलित है।
4. मेरी एवं मेरे परिवार की वार्षिक आय रु0 है।
5. मेरा आधार कार्ड संख्या है।
6. मेरा बचत खाता संख्या बैंक का नाम जिसकी शाखा जनपद है।
7. मैंने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास बनाने के लिए आवेदन किया था। मैंने स्वेच्छा से लाभार्थी चयनित होने एवं सत्यापित होने के पश्चात् योजना अभिलेख में हस्ताक्षर किया एवं स्वेच्छा से आवास का निर्माण कर रहा/रही हूँ।
8. मैं स्थानीय नियमों के अनुसार आवास का निर्माण करूँगा/करूँगी। यदि आवास निर्माण हेतु नक्शा/मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग से नक्शा/मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।
9. मैं विवादित/दूसरे की भूमि/न्यायालय द्वारा रोक लगायी हुई भूमि पर निर्माण नहीं करूँगा/करूँगी।
10. मेरे संज्ञान में है कि मुझे प्रथम किश्त रु0 50,000 की धनराशि जीरो लेवल जियो टेगिंग के पश्चात्, द्वितीय किश्त रु0 1,50,000 की धनराशि स्लैब लेवल पर तथा अन्तिम किश्त रु0 50,000 की धनराशि आवास पूर्ण होने के पश्चात् दी जायेगी। आवास निर्माण हेतु सरकारी सहायता राशि के बाद निर्माण कार्य में होने वाले अतिरिक्त खर्च का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी।
11. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्राप्त राशि से आवासीय इकाई का निर्माण नहीं कराये जाने की स्थिति में निकाय से प्राप्त राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित एक मुश्त लौटा दूँगा/दूँगी।
12. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा किसी अन्य घटक में लाभ नहीं लिया गया है तथा भविष्य में भी नहीं लिया जायेगा।
13. मैं अनुबन्ध में वर्णित उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यह संज्ञान में है कि शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
14. उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

साक्षी:-

लाभार्थी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

1.

2.